

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ /19, लखनऊ दिनांक : 0 | मई -2019,

-: आदेश :-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-1526/19 दिनांक 15.04.2019 द्वारा दिनांक 13.05.19 से 17.05.19 तक के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम व पीठ-द्वितीय व पीठ-तृतीय, लखनऊ के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, लखनऊ (न्यायिक) व सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-द्वितीय लखनऊ (विभागीय) की खंड पीठ गठित की गयी थी।

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, लखनऊ की दिनांक 13.05.19 से 17.05.19 तक Indian Institute of Public Administration (IIPA) New Delhi में ट्रेनिंग का कार्यक्रम प्राप्त होने के कारण उक्त गठित खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए "न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम लखनऊ " के स्थान पर "न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, इलाहाबाद को उक्त अवधि की खंड पीठ हेतु नामित किया जाता है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह0-01.05.2019

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ 740 /2019, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम/पीठ-द्वितीय/तृतीय लखनऊ।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, इलाहाबाद।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

प्र0 निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।